उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 14 | 16-31 जुलाई 2021 | ₹ 20/-

संघ प्रमुख का नागरिकता कानून पर बयान

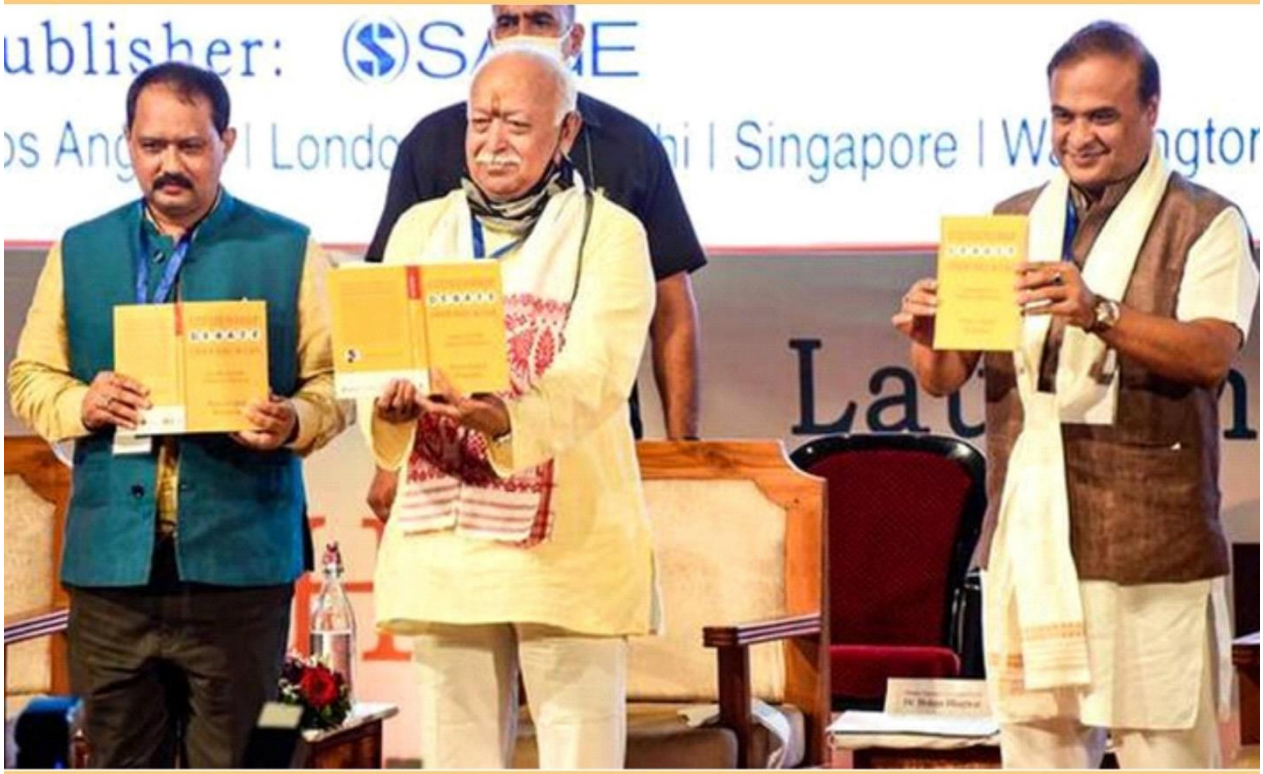

- देशद्रोह कानून को समाप्त करने पर चर्चा
- ट्यूनीशिया में तानाशाही
- तालिबान द्वारा 100 नागरिकों की हत्या
- मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा गोदान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख का नागरिकता कानून पर बयान 04
देशद्रोह कानून को समाप्त करने पर चर्चा 10
मौलाना अरशद मदनी के राजनीति में आने की संभावना 13
उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास 14
शबनम को फांसी के फंदे से बचाने का प्रयास 16

विश्व

अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा 100 नागरिकों की हत्या 17
पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव का नाटक 21
चीन द्वारा अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी 23
पाकिस्तान में रसूल की अवमानना करने पर उम्रकैद 24
अफ्रीका आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा 25

पश्चिम एशिया

ट्यूनीशिया में तानाशाही 26
अमेरिका का इराक में जंगी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान 28
विश्वविख्यात शिया विद्वान जेल से रिहा 29
बशर अल–असद फिर बने सीरिया के राष्ट्रपति 30
कोरोना प्रतिबंधों के साथ हज 31
सऊदी अरब में 14000 घुसपैठिए गिरफ्तार 31

अन्य

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा गोशाला में गोदान 32
विवाद मुस्लिम मुसाफिर खाने का 32
सदियों पुरानी मस्जिद में अज़ान की गूंज 33
डीडी उर्दू से मोहर्रम का विशेष कार्यक्रम 33
बगदाद में नमाज़–ए–ज़नाज़ा पर हमला 33

सारांश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि हमारे यहां पहले से ही सभी धर्मों को पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है और हम भगवान को एक ही रूप में देखते हैं। आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं तो ठीक है। अपनी भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहें। हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर और सम्मान हम करते रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की चिंता भी हम करेंगे। ये सारी बातें सभी कहते हैं। ये बातें आदर्श के रूप में कही जाती हैं। मगर इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। यह हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें हमको किसी से सीखनी नहीं है। ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में हैं और इसलिए सबसे ज्यादा प्रमाणिकता से उसको लागू करके हमारे देश ने उसको जीवंत रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी किसी भी भारतीय की नागरिकता के खिलाफ बनाया हुआ कानून नहीं है और इससे भारत के किसी भी मुस्लिम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजनीतिक लाभ के कारण कुछ लोगों ने इन दोनों विषयों को हिंदू–मुस्लिम का विषय बना दिया है। यह हिंदू–मुस्लिम का विषय है ही नहीं। अपने देश के नागरिक कौन हैं, यह जानने की पद्धति प्रत्येक देश में है। उसमें एनआरसी भी एक पद्धति है। यह किसी के भी खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास हुआ। वे इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते थे। देश विखंडित हो गया। पाकिस्तान बन गया। मगर जैसा वे चाहते थे वैसा नहीं हुआ। उन्हें असम नहीं मिला और बंगाल तथा पंजाब भी आधे ही मिले। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस देश के अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी और हम भी इसी आश्वासन पर दृढ़ हैं। किसी भी अल्पसंख्यक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।

अफगानिस्तान के बाद अब इराक से भी अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाने का निर्णय किया है। गत 18 वर्षों से अमेरिकी सैनिक इराक में थे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद जो रिक्तता पैदा हुई है उसका लाभ उठाकर तालिबान वहां पर अपने पैर पसार रहे हैं। भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि तालिबान ने चीन के साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में तालिबान के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में चीन का दौरा करके वहां के नेताओं से बातचीत की थी और उन्हें अपना सबसे बड़ा दोस्त बताया था। खास बात यह है कि चीनी नेताओं के दबाव पर तालिबान ने यह घोषणा की है कि चीन के शिंजियांग प्रांत में एक इस्लामिक देश बनाने का जो आंदोलन चल रहा है उसे वे किसी तरह का सहयोग नहीं देंगे।

मुस्लिम राजनीति एक नया मोड़ ले रही है। कुछ तत्वों द्वारा दारूल उलूम देवबंद और जमीयत उलेमा–ए–हिंद के नेता सैयद अरशद मदनी को मुसलमानों के नेता के रूप में मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। इससे देवबंदियों और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच होड़ बढ़ने की संभावना है। जमीयत उलेमा का गठन 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किया गया था। अभी तक यह कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करती आ रही थी। इसके पहले महामंत्री हाफिज हफीजुर्रहमान और उनके उत्तराधिकारी मौलाना असद मदनी कई दशक तक कांग्रेस की टिकट पर संसद की शोभा बढ़ाते रहे हैं। जमीयत उलेमा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दारूल उलूम देवबंद में प्रशिक्षित इमामों ने देश भर में फैली हुई लाखों मस्जिदों पर कब्जा जमा रखा है। इसलिए वे मुसलमानों की विचारधारा को प्रभावित कर सकते हैं। अभी तक जमात–ए–इस्लामी ने भी वेल्फेयर पार्टी बनाकर राजनीति में पदार्पण किया था मगर उनका यह प्रयास भी सफल नहीं हो सका। अरशद मदनी मुस्लिम राजनीति में अपना रंग जमाने में कहां तक सफल होंगे इसके बारे में अभी दावे से कुछ भी कहना कठिन होगा।

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख का नागरिकता कानून पर बयान

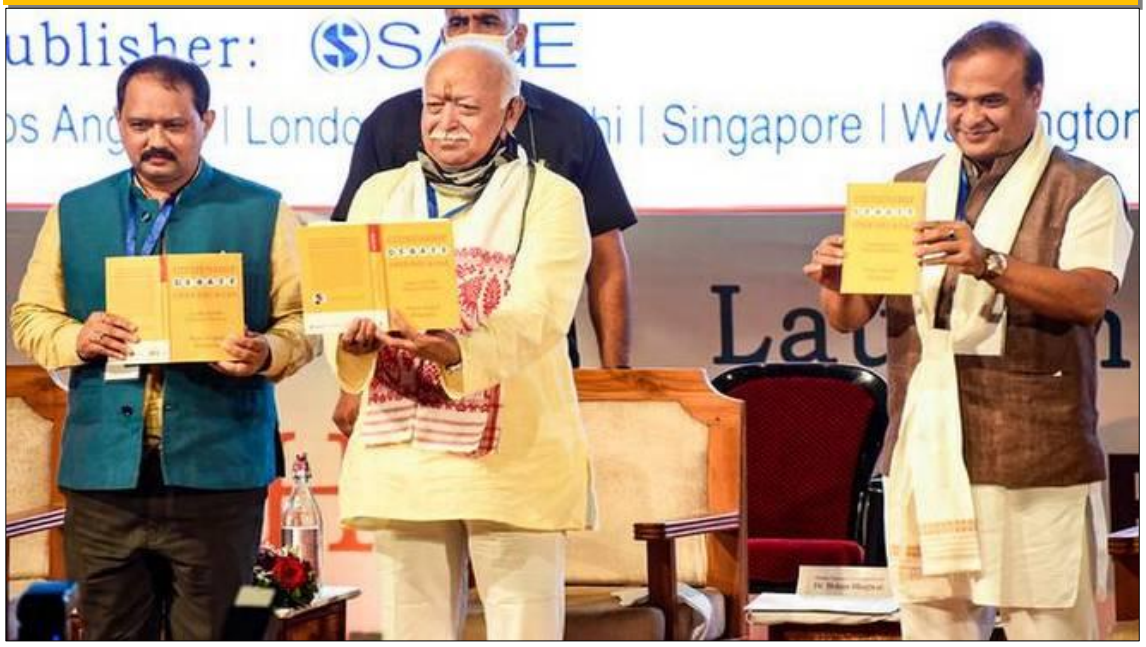

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने 21 जुलाई को गुवाहाटी में "सिटीजनशिप डिबेट ओवर एनआरसी एंड सीएए : असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री" नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। हालांकि अधिकांश उर्दू समाचारपत्रों ने उनके इस बयान को प्रकाशित नहीं किया मगर जिन समाचारपत्रों ने इसे प्रकाशित किया है उनका स्वर काफी धमकीपूर्ण है।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जुलाई) के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जो बयान दिया है उस पर भारी हंगामा हो सकता है। गुवाहाटी में एक समारोह में उन्होंने कहा कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से देश में मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास हुआ। ऐसी सोच थी कि आबादी बढ़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। यह दृष्टिकोण पंजाब, सिंध, असम और बंगाल के बारे में था। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान वजूद में आ गया। लेकिन जैसा कि वे पूरे भारत को ऐसा बनाना चाहते थे वैसा नहीं हुआ। मोहन भागवत ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमें दुनिया से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र को सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यह हमारी परंपरा और खून में है और इन्हें हमारे देश ने लागू किया है और उसे जिंदा भी रखा है। सीएए के संबंध में संघ प्रमुख ने यह स्पष्ट किया कि यह कानून भारतीय नागरिकों के खिलाफ नहीं है और इससे मुसलमानों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीएए और एनआरसी का हिंदू मुसलमान विभाजन से कुछ लेना–देना नहीं है। हालांकि कुछ लोग

इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसे सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करेंगे और हम आज तक उसी को कार्यान्वित कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया।

अखबार–ए–मशरिक (24 जुलाई) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सन् 1930 से हिंदुस्तान में सुनियोजित ढंग से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके पीछे यह ख्याल था कि आबादी को बढ़ाकर देश को पाकिस्तान बनाया जाएगा। हिंदुस्तान में बंगाल, असम और सिंध को पाकिस्तान बनाने की योजना थी। लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई। देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के बारे में मोहन भागवत ने कहा कि इसका मुसलमानों और हिंदुओं के विभाजन से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए इसे साम्प्रदायिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता कानून से किसी भी मुसलमान को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। मोहन भागवत ने "सिटीजनशिप डिबेट ओवर एनआरसी एंड सीएए : असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री" नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेंगे और अब तक ऐसा ही किया गया है और हम भी ऐसा ही करेंगे।

मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता कानून द्वारा पड़ोसी देशों में पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। हम संकट के समय इन देशों के बहुसंख्यक बिरादरी की भी सहायता करते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खतरे और भय के कारण हमारे देश में आना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से इनकी सहायता करनी होगी। हिंदुस्तान में सुनियोजित ढ़ंग से मुसलमान परिवारों का स्थान बदलना और उनकी आबादी को एक विशेष ढंग में बढ़ाना असमी और अन्य बिरादरियों के लिए चिंता का कारण है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपने सभी अधिकार तो मांग रहा है मगर वह अपना कर्तव्य अदा करने के लिए राजी नहीं है। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पुस्तक के लेखक प्रो. एन. गोपाल महंत ने भी संबोधित किया।

टिप्पणी : संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के उद्‌बोधन के मुख्य अंश निम्नलिखित हैः–

- संघ का काम करने वाले हम सभी लोगों के मन में सबके भले की ही भावना रहती है और सत्य पर चलने का संकल्प रहता है।
- पुस्तक का एक निष्कर्ष है वह आपके सामने आ गया है। अब हर बात को लेकर बवाल मचाने की पद्धति है। आजकल तो इसको लेकर भी बवाल मचा सकते हैं। पुस्तक के लेखक ने अध्ययन किया है। जब पुस्तक को आप पढेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। बहुत परिश्रमपूर्वक व्यापक अध्ययन किया है। अभी तक हमारे सामने कुछ बातें आई नहीं थीं अथवा आने नहीं दी गईं वह इस पुस्तक में उजागर हो गई हैं।
- हमें दुनिया की किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी बात से परहेज नहीं है। क्योंकि हमारी दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारे देश में तो कितने अलग–अलग राज्य थे, लेकिन वीजा, पासपोर्ट नहीं था। यात्राएं होती थीं। हिमालय से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप लोगों का आना जाना चलता था। क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से राज्य है, देश है। हमारा तो पूरा देश है, हम तो स्वदेशोभुवनत्रयः मानते हैं।

- 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। एक योजनाबद्ध विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। यह पूरे पंजाब के बारे में था, यह सिंध के बारे में था, यह असम के बारे में था, यह बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत का विखंडन हो गया पाकिस्तान बन गया। लेकिन जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। असम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वह नहीं मिला। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला।
- विभाजन के बाद कुछ लोग यहां पीड़ित और संत्रस्त होकर आए, वे शरणार्थी थे और कुछ लोग संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेकर आए। संख्या बढ़े, इसलिए उनको सहायता भी होती थी। आज भी होती है। जितने भू–भाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी, उतने भू–भाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग हैं, वह हमारी दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही हुआ। हम यह अनुभव करते हैं कि जब ऐसे लोग आकर यहां बसते हैं, वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या कम हो गई उनको सदा चिंता में रहना पड़ता है। यह भारत का अनुभव है, असम का अनुभव है।
- हमारे यहां पहले से ही पूजाओं की स्वतंत्रता है, कुछ बिगड़ता नहीं हमारा। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हैं ठीक है। अपनी भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो। हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक–दूसरे की भाषा का आदर और सम्मान हम करके रहेंगे, एक–दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये सारी बातें सभी कहते हैं, यह बात आदर्श की बात के रूप में कही जाती है।

लेकिन, इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है, ये हमारी संस्कृति है।

- सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी जैसी बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं हैं। ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में हैं और ए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू करके हमारे देश ने उसको जीवंत रखा।
- भाऊराव जी देवरस इंग्लैंड गए थे। वहां राजनयिकों, सांसद, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त लोगों के साथ भोजन था। भोजन के समय भाषण होते हैं तो एक ने उनके स्वागत में भाषण दिया– बड़ा अच्छा लगता है कि भारत के साथ हमारा संबंध आया, भारत को प्रजातंत्र हमने दिया है....वगैरह–वगैरह। तो भाऊराव जी ने उनको कहा कि आपने सब कुछ अच्छा कहा, धन्यवाद। लेकिन एक तथ्यात्मक गलती है। ये गणतंत्र आपने नहीं दिया। शायद हमारे यहां से वाया ग्रीक आपके यहां आया होगा। क्योंकि जब आपका देश नहीं था तब भी हमारे यहां वैशाली, लिच्छवी, ऐसे अनेक गणराज्य थे।
- पहली बार मेरी प्रणब दा से भेंट हुई थी। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर चर्चा चल रही है। धर्मनिरपेक्षता हमें कौन सिखाएगा? हमको दुनिया क्या सिखा सकती है? हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। फिर उन्होंने

कहा कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा तभी हम सेक्युलर होंगे ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता ही इस माइंडसेट के थे, सेक्युलर थे। इसलिए ऐसा संविधान बनाया। फिर कुछ देर रुककर उन्होंने कहा – और ये हमारे संविधान के निर्माता भारत के पहले सेक्युलर नहीं हैं। पांच हजार वर्षों की हमारी संस्कृति उसने हमको यही सिखाया है। दुनिया क्या सिखाएगी हमको सेक्युलरिज्म।

- यह हमारी भोग भूमि नहीं है। यह तो हमारी कर्मभूमि है, कर्तव्य की भूमि है। यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इस भूमि के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य है और यह उस संस्कृति ने निर्धारित कर दिया है। वह किसी पंथ, संप्रदाय और पूजा पर आधारित नहीं है।
- सीएए और एनआरसी किसी भारतीय नागरिक के विरूद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है, भारत के मुसलमान नागरिक को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजनीतिक लाभ के लिए दोनों विषयों (सीएए–एनआरसी) को हिन्दू मुसलमान का विषय बना दिया, यह हिन्दू मुसलमान का विषय ही नहीं है। अपने देश के नागरिक कौन हैं, यह जानने की पद्धति प्रत्येक देश में है। उसमें एनआरसी एक पद्धति है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है।

उर्दू समाचारपत्र एक सुनियोजित ढंग से जनता को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।

इंकलाब (21 जुलाई) में एक समाचार प्रकाशित किया गया है जिसमें कहा गया है कि 'असम में पॉपुलेशन आर्मी' मुस्लिम क्षेत्रों में आबादी पर काबू करने का काम करेगी। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुसलमानों से संबंधित एक और शोशा छोड़ा है। उन्होंने मुस्लिम क्षेत्रों में आबादी को काबू में करने के लिए विशेष कदम उठाने की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने विधान सभा में एक वक्तव्य दिया है कि राज्य में एक 'पॉपुलेशन आर्मी' बनाई जाएगी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आबादी को नियंत्रण करने के लिए काम करेगी। यह आर्मी इन क्षेत्रों में परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री को वितरण करेगी और आबादी

को कम करने के लिए जागरूकता भी पैदा करेगी। इस आर्मी में 1000 लोग होंगे और इन्हें असम के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा।

समाचारपत्र का कहना है कि हिमंत बिस्वा के इस विवादित बयान पर अल्पसंख्यकों में काफी गुस्सा है। इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित कई राज्य सरकारें इस तरह का कदम उठा चुकी हैं। असम के मुख्यमंत्री ने विधान सभा को सूचित किया कि राज्य के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में आबादी में वृद्धि की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। इसलिए इसको रोकने के लिए हम आशा वर्कर्रों की एक अलग टीम बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जो परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता पैदा करने और गर्भ निरोधक सामग्रियों के वितरण का कार्य करेगी। उन्होंने एक बार फिर मुसलमानों की आबादी में वृद्धि के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि 2001 से लेकर 2011 तक असम में हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात दस प्रतिशत था। जबकि मुसलमानों में यह अनुपात 29 प्रतिशत था। जनसंख्या कम होने के कारण हिंदुओं का विकास तेज गति से हुआ है।

इंकलाब (17 जुलाई) में समीम तारिक का एक विशेष लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें मोहन भागवत के डीएनए वाले वक्तव्य को निशाना बनाते हुए इस लेख का शीर्षक दिया है 'जी हां, हमारा डीएनए एक है'। लेखक ने कहा है कि मोहन भागवत ने जो दावा किया है उसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। पर फिर भाजपा के नेताओं का यह बयान भी हमारे दिमाग में है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। फिर अचानक उनकी विचारधारा में परिवर्तन क्यों हुआ? इसके दो कारण हैं एक तो यह है कि सरकार के सभी गुप्त रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद उनके दिल में यह भावना उत्पन्न हुई है कि चुनावों में अब तक वे झूठ की जो फसल काटते रहे हैं वह इस बार काम नहीं आने वाली है। दूसरा यह कि बंगाल के चुनावों ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया है कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और सत्तारूढ़ दल के लोगों को खरीदने के प्रयास और साफ–सुथरे लोगों का चरित्र हनन उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। उन्हें यह बात भी समझ में आ गई है कि सीपीएम और कांग्रेस के काफी लोग ममता बनर्जी से दुश्मनी में भाजपा को जितवाने का प्रयास कर रहे थे तो मुसलमानों ने सीपीएम और कांग्रेस से नाता तोड़कर ममता के पक्ष में एकजुट होकर वोट दिया, जिससे उनकी डूबती नैया पार लग गई। वे अब उत्तर प्रदेश में भी यही कर सकते हैं। बंगाल में ऐसी कोशिश हुई थी कि मुस्लिम मत विभाजित हों मगर मुस्लिम मत विभाजित नहीं हुए। आज आठ राज्यों में गैर–भाजपा सरकारें हैं या भाजपा की सरकार दूसरी पार्टियों की रहमो–करम पर है।

इसी समाचारपत्र ने खालिद शेख का एक अन्य लेख प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है– "भागवत का बयान ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं।" लेखक ने यह दावा किया है कि कोरोना से निपटने में हुए आपराधिक कुशासन की गूंज को पूरी दुनिया ने सुना और महसूस किया, जिससे मोदी ब्रांड को जबर्दस्त झटका लगा है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में सद्भावना से संबंधित जो बयान दिया है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की बिगड़ती छवि को बचाना और अगले वर्ष राज्यों में होने वाले चुनाव को जीतना मालूम होता है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 24 जुलाई के अंक में एक विशेष संपादकीय प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है– "आरएसएस को इंगेज करने की जिम्मेवारी अलीगढ़ और जामिया के छात्रों को दें।" मुशरिफ शम्सी ने संपादकीय में कहा है कि भागवत ने भारतीय मुसलमानों के बारे में जो हाल ही में वक्तव्य दिया है वह मुसलमान चिंतकों में

चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। भागवत की बातों को भारतीय मुसलमान सकारात्मक ढंग से लें इस बात की चर्चा हो रही है। भागवत ने तो अपनी बात रख दी है। अब मुस्लिम लीडरशीप पर निर्भर है कि वह इस बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं? आरएसएस या किसी भी ऐसे संगठन के साथ जिससे बातचीत करके भारतीय मुसलमानों का जीवन आसान बने तो यह बात जरूर होनी चाहिए। बातचीत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलता है। भागवत भारतीय मुसलमानों के बारे में कह चुके हैं कि उनका और देश का डीएनए एक है। गाय की रक्षा करने वाले और मॉब लिंचिंग करने वाले एक नहीं हैं। मॉब लिंचिंग करने वालों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। अब जरा यह सोचिए कि "गोरक्षक और मॉब लिंचिंग करने वालों को भागवत ने अलग–अलग क्यों बता दिया? याद कीजिए 2017 की बात। गोरक्षकों की मारपीट की खबरें समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रही थीं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने गोरक्षकों के बारे में बयान देते हुए कहा था कि वे दिन में क्या करते हैं और रात में क्या करते हैं इन सबकी कुंडली मेरे पास है। तो इन लुटेरे गोरक्षकों के समर्थन में मोहन भागवत ने बयान देकर उन्हें बचाने का काम किया था।"

"आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका न तो राष्ट्रवाद से दूर–दूर तक कोई रिश्ता है और न ही बहुसंख्यक हिंदुओं का कल्याण ही उनका लक्ष्य रहा है। आरएसएस का सिर्फ एक लक्ष्य है कि भारत के अमीर हिंदुओं की सरकार को किस तरह से सत्ता में रखा जाए। क्योंकि भारत की अमीरी और गरीबी वर्ण व्यवस्था में निहित है। इसलिए उंची जातियों को बनियों की मदद से हमेशा सरकार में बनाए रखने का लक्ष्य रहा है। लेकिन बनिए भी तभी तक साथ देते हैं जब तक उन्हें देश में लूट का मौका मिलता रहे। वरना वे किसी और को अपना मोहरा बनाकर लूट का सिलसिला जारी रखते हैं। मोदी सरकार की जनता विरोधी नीतियों के कारण भारतीय समाज के अधिकांश हिस्से सरकार से नाराज हो चुके हैं। ऐसे में आरएसएस और भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की हार हो गई तो 2024 में लोकसभा का चुनाव जीत पाना भाजपा के लिए नामुमकीन हो जाएगा। ऐसे में भाजपा की सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक ऐसे वर्ग की जरूरत है जो कि एकमुश्त वोट देता आ रहा हो। अगर वह एकमुश्त वोट न भी दे तो वह एकमुश्त वोट देकर किसी पार्टी का विरोध न करे। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद आरएसएस और भाजपा को यह अनुभूति होने लगी है कि अब हिंदू मुसलमान का कार्ड वोट हासिल करने के लिए बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस नफरत छोड़ देगा यह संभव नहीं है। क्योंकि मुसलमान और पाकिस्तान का राग अलापना अगर भाजपा खत्म कर दे तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। देश के 85 प्रतिशत हिंदुओं के प्रतिनिधित्व का दावा आरएसएस करता है और हिंदुओं के बहुसंख्यक वोट भाजपा को तभी मिल पाते हैं जब उनके सामने मुसलमानों को खड़ा किया जाता है। इसलिए मुसलमानों को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आरएसएस मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रहा है।"

"रही आरएसएस से बातचीत की बात तो यह मुसलमानों को जरूर करनी चाहिए क्योंकि बातचीत से आरएसएस के लीडरशीप को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों की ओर से बातचीत कौन सा संगठन करे? मेरी राय में यह जिम्मेवारी नौजवान और पढ़े–लिखे समूहों को दी जानी चाहिए, जिन्हें सभी विचारधारा के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त हो। क्योंकि ज्यादातर बड़े मुस्लिम नेता किसी न किसी

तरीके से सरकार से प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा तो यह होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के नौजवान छात्र इस बातचीत को शुरू करें। इन पर देश के हर वर्ग के मुसलमानों का विश्वास होगा। वे खुले दिमाग से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है कि मुसलमानों की राजनीति में भागीदारी को समाप्त करना आरएसएस का लक्ष्य रहा है। अगर सब कुछ देकर इस बिंदु पर बात होगी तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। हां, अगर आरएसएस इस देश में मुसलमानों की राजनीति में सकारात्मक भूमिका की बात करता है तो मुसलमानों को इस बातचीत में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

देशद्रोह कानून को समाप्त करने पर चर्चा

इंकलाब (16 जुलाई) ने मुख्य समाचार के रूप में एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है "देशद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल पर सर्वोच्च न्यायालय रुष्ट।" समाचार में कहा गया है कि विरोध के स्वर को दबाने के लिए देशद्रोह कानून का जिस तरह से अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और कुछ बुनियादी प्रश्न उठाए हैं। पूर्व मेजर जनरल जी.एस. वोम्बटकेरे ने आईपीसी की धारा 124ए के खिलाफ दायर याचिका को दाखिल करने की मंजूरी देते हुए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय बेंच ने कहा है कि देशद्रोह का यह कानून अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन और सरकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाने वालों के विरुद्ध बनाया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आजादी के 75 वर्ष बाद भी सरकार इस कानून को बनाए रखना चाहती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देशद्रोह के मामलों में बहुत कम लोगों को सजा होती है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें मुकदमा दायर कराने वालों की कोई जवाबदेही नहीं होती है। न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से कहा कि धारा 66 को ही ले लीजिए। हालांकि न्यायायल इसे रद्द कर चुकी है मगर इसके बावजूद इसी धारा के तहत हजारों मुकदमें दर्ज किए गए। पिछले दिनों आईटी एक्ट की धारा 66ए को हालांकि समाप्त कर दिया गया है बावजूद इसके इस धारा के अंतर्गत अब भी मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल इस कानून का इस्तेमाल विरोध के स्वरों को दबाने के लिए किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार पुराने कानूनों को कानून की किताबों से निकाल रही है तो इस कानून को हटाने पर विचार क्यों नहीं किया गया? न्यायालय ने कहा कि देशद्रोह की संवैधानिक जरूरत पर हम विचार करेंगे और इस संदर्भ में सरकार को एक नोटिस भी जारी किया गया है और कहा गया है कि अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि देशद्रोह का कानून कानून निर्माताओं के कामकाज के लिए खतरा है और यह कानून बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी देने के समान है जिसका इस्तेमाल वह पूरे जंगल को काटने के लिए करता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम किसी भी सरकार या राज्य को आरोपी नहीं ठहरा रहे हैं। लेकिन यह भी देखिए कि कैसे रद्द किए गए आईटी कानून के तहत दर्ज मुकदमे को बदकिस्मत लोगों को भुगतना पड़ा है और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। पुलिस अधिकारी इस धारा का मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रहे

हैं। पूर्व मेजर जनरल ने अपनी याचिका में कहा है कि यह धारा पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि यह भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के बुनियादी अधिकार पर एक पाबंदी है। न्यायालय में अटॉर्नी जनरल का तर्क था कि इस कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है सिर्फ गाइडलाइन निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कानून अपना लक्ष्य पूरा कर सके। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर कोई एकपक्ष दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुनना चाहता तो वह इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है और दूसरों को फंसा सकता है। यह बहुत संवेदनशील मामला है।

सियासत (16 जुलाई) ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है "विरोध करना विद्रोह नहीं।" समाचारपत्र ने कहा है कि इन दिनों विरोध करने पर भी देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में विरोध के स्वरों को दबाने के लिए देशद्रोह के मामलों में केस दर्ज किए गए। सड़कों पर विरोध करने वालों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए। छोटे–मोटे कारणों से भी सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने व कुचलने के लिए इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। मुकदमा दर्ज होते ही लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है और वहां उनकी जमानतें तक नहीं हो पातीं। अब देश की अदालतों को भी यह एहसास हो चुका है कि सरकार की ओर से देशद्रोह और बगावत के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार अपने खिलाफ हर आवाज को दबाने के लिए इन कानूनों का सहारा ले रही है। हाल ही में हरियाणा के सिरसा में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की कुछ घटनाएं हुईं। भाजपा के नेता और विधान सभा के उपाध्यक्ष की कार को निशाना बनाया और उसके शीशे आदि तोड़ दिए। हालांकि विधान सभा उपाध्यक्ष सुरक्षित रहे। लेकिन इस घटना पर भी हरियाणा की खट्टर सरकार ने 100 किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे ठोक दिए। देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी यह बात मानता है कि देशद्रोह और मतभिन्नता के मामलों में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इस कानून के अनुसार संविधान में दिए गए बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है। यह सही है कि किसी भी मामले पर अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। मगर इस बात का भी कोई तुक नहीं है कि ऐसी मामूली घटनाओं के लिए देशद्रोह और बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसलिए सरकार को ऐसे कानूनों को रद्द करने पर विचार करना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इन कानूनों का इस्तेमाल न केवल सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली जनता के खिलाफ किया जा रहा है बल्कि सामाजिक मामलों पर अपनी जिम्मेवारी को निभाने वाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। केन्द्र सरकार को अब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद ऐसे मुकदमे दर्ज नहीं करने चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 जुलाई) ने एक संपादकीय लिखा है, जिसका शीर्षक है "देशद्रोह कानून का अंधाधुंध इस्तेमाल।" इन दिनों देश में जिस तरह का अंधेरा देखा जा रहा है उसका उदाहरण नहीं मिलता। आईटी एक्ट की धारा 66ए के रद्द किए जाने के छह वर्ष बाद भी इस कानून के तहत हजारों मुकदमे दर्ज करने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद अब केन्द्र सरकार ने बड़े भोलेपन से सभी राज्यों को लिख दिया है कि वह इस धारा के तहत मुकदमे दर्ज न करे। इसी तरह से देशद्रोह के कानून के मनमाने इस्तेमाल पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता प्रकट की है और कहा है कि देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देशद्रोह के ऐसे कानूनों की क्या जरूरत है? ये कानून अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों की आवाज और आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए किया था और अब

उसके इस्तेमाल की क्या जरूरत है? भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह, गद्दारी और बगावत के बारे में व्याख्या मौजूद है। इस मामले पर एक पूर्व मेजर जनरल ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। यह कानून ब्रिटिश साम्राज्य ने 1870 में बनाया था और उनका उद्देश्य सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को कुचलना था। जो व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है वह सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता और उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है।

इंकलाब (18 जुलाई) ने अपने संपादकीय में देशद्रोह के कानून को रद्द करने की मांग की है। समाचारपत्र ने कहा है कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे गैरजरूरी और बेकार बताया है और मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को यह संदेश दिया है कि वे इस बात से सहमत हैं कि विवादित देशद्रोह कानून सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार बन गया है जिसके द्वारा मत की अभिव्यक्ति और नागरिकों की आजादी के बुनियादी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वर्तमान युग में ऐसे खौफनाक कानून की कोई जरूरत नहीं है इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। 2016 में इस कानून के तहत 35 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनकी संख्या 2019 में बढ़कर 93 हो गई। इस तरह से इसमें वृद्धि का अनुपात 165 प्रतिशत है। अगर सरकार के पास देशद्रोह के ठोस सबूत होते तो 93 केसों में से सिर्फ 17 में ही चार्जशीट फाइल क्यों की जाती? इससे साफ है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक सिर्फ तीन प्रतिशत लोग ही दोषी पाए गए हैं। इससे पूर्व भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस कानून का विरोध किया था और इसे मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया था। मगर इसके बावजूद यह कानून अभी तक बना हुआ है।

रोजनामा सहारा (17 जुलाई) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर देशद्रोह के कानून पर सवाल उठाया है और इस कानून के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से पूछा है कि गुलामी के काल से पहले चले आ रहे इस कानून की अब क्या जरूरत है? इससे पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालय इस कानून के जालिमाना इस्तेमाल की आलोचना कर चुके हैं। सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों की आलोचना करने वालों के खिलाफ इस कानून का बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में सेना के एक पूर्व मेजर जनरल ने इस कानून को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। यह कानून भारतीय संविधान की धारा 19 के विरुद्ध है, जिसमें हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि सरकार की आलोचना करना या प्रशासन के निकम्मेपन को उजागर करना देश से गद्दारी नहीं है।

समाचारपत्र ने कहा है कि कुछ दिनों पूर्व सरकार ने इस कानून के इस्तेमाल के लिए हाजिरी मुकर्रर कर दी थी मगर सरकार ने इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया। गत 75 वर्षों में दर्जनों सरकारें आईं और चली गईं मगर किसी ने इस कानून को समाप्त करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस कानून के तहत अधिकांश मुकदमे सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए हैं। सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस कानून का मनमाना इस्तेमाल कर रही है। इसे अब रोका जाना चाहिए।

मौलाना अरशद मदनी के राजनीति में आने की संभावना

मुंबई उर्दू न्यूज (28 जुलाई) ने लिखा है कि मुस्लिम नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण राजनीति में मुसलमानों की बेवजनी हो रही है और इन विवादों का राजनीतिक जगत में गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमें एक जुट होकर उस पार्टी का समर्थन करना चाहिए जो कि अभी तक हर मोर्चे पर मिल्लत का समर्थन करती आ रही है। इसका कारण यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ जुबानी जमा खर्च और कागजी वायदों के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए यह जरूरी है कि जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को जिस तरह से मुसलमानों का अमीर–उल–हिंद बनाया गया है। इसको देखते हुए उन्हें मुसलमानों के प्रमुख नेता के रूप में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मौलाना अरशद मदनी का समर्थन करे। क्योंकि मजलिस के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी न केवल धार्मिक बल्कि मुसलमानों की राजनीतिक भावनाओं को भी समझते हैं और वे शरई सिद्धांतों का अनुसरण करते रहे हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को मौलाना अरशद मदनी के समर्थन में अपील जारी करनी चाहिए जो कि इस वक्त मुसलमानों के लिए बेहद जरूरी है। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर सैयद सलमान हसनी नदवी ने कहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और जिस फन से राजनीतिक अवसरवादियों ने उन्हें डंसा है अब उससे बचना चाहिए। चुनाव में अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए उन्हें एक मजबूत राजनीतिक रणनीति अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के नेतृत्व के लिए मौलाना अरशद मदनी असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा योग्य हस्ती हैं। जमीयत उलेमा के प्लेटफॉर्म से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था। अब इसको और सक्रिय बनाने की जरूरत है। अरशद मदनी और ओवैसी दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। इसका नेतृत्व मौलाना सैयद रब्बै हसनी नदवी कर रहे हैं। उन्हें अब अपनी भूमिका को कारगर ढंग से निभाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को

मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी समर्थन करना चाहिए। हैदराबाद, महाराष्ट्र और बिहार में मजलिस अपने राजनीतिक वजूद का एहसास करवा चुकी है। अभी तक मुसलमान सेक्युलरिज्म का दावा करने वाली पार्टियों का समर्थन करते रहे हैं। मगर उन्हें उनसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मुसलमानों को राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने पर विचार करना चाहिए।

जमीयत उलेमा गत कुछ वर्षों से दो गुटों में विभाजित हो गई थी मगर अब चाचा–भतीजा (अरशद मदनी और महमूद मदनी) के बीच समझौता हो जाने के कारण इस संगठन को नया जीवन मिला है। जमीयत उलेमा अभी तक खुलकर आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए मुसलमानों का समर्थन करती आ रही है। कानूनी डिफेंस कमेटी के संयोजक गुलजार आजमी के अनुसार अब तक जमीयत उलेमा 300 से अधिक लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें रिहा करवा चुकी है। हाल ही में जमीयत उलेमा ने यह भी घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में और विदेशों से सहायता प्राप्त करने के आरोप में जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के अनुसार इन बेगुनाह लोगों को झूठे मुकदमो में फंसाया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जुलाई) के अनुसार जमीयत उलेमा के वकील एम.आर. शमशाद ने हिंदी समाचारपत्र दैनिक जागरण को कानूनी नोटिस जारी करके कहा है कि 7 जुलाई, 2021 के समाचार में इस्लामिक मदरसों के खिलाफ झूठा समाचार प्रकाशित किया गया है, जिससे मुसलमानों को मानसिक आघात पहुंचा है और यह मांग की है कि इससे पूर्व भी यह समाचारपत्र लव जिहाद के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे समाचार प्रकाशित करता रहा है। जमीयत उलेमा ने दैनिक जागरण से क्षमा याचना करने और ऐसे झूठे लेख छापने बंद करने का अनुरोध किया है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इंकलाब (17 जुलाई) के अनुसार अरशद मदनी ने कहा है कि विभिन्न न्यूज चैनलों द्वारा इस्लामिक संगठनों के खिलाफ जो झूठे समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं उन्हे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। हाल ही में तब्लीगी जमात के बारे में झूठे समाचार छापने वाले मीडिया के खिलाफ जमीयत ने सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसे न्यायालय ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समाचारपत्र मुसलमानों की छवि को धुमिल करने और हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं हैं मगर झूठी और शरारतपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ हैं, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास

इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021–2030 का विमोचन किया है। उन्होंने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों का ख्याल रखते हुए सरकार जनसंख्या नीति लागू कर रही है। इसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या को रोकना और हर नागरिक के जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाना है। लखनऊ में इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई आबादी विकास में रूकावट बन रही है।

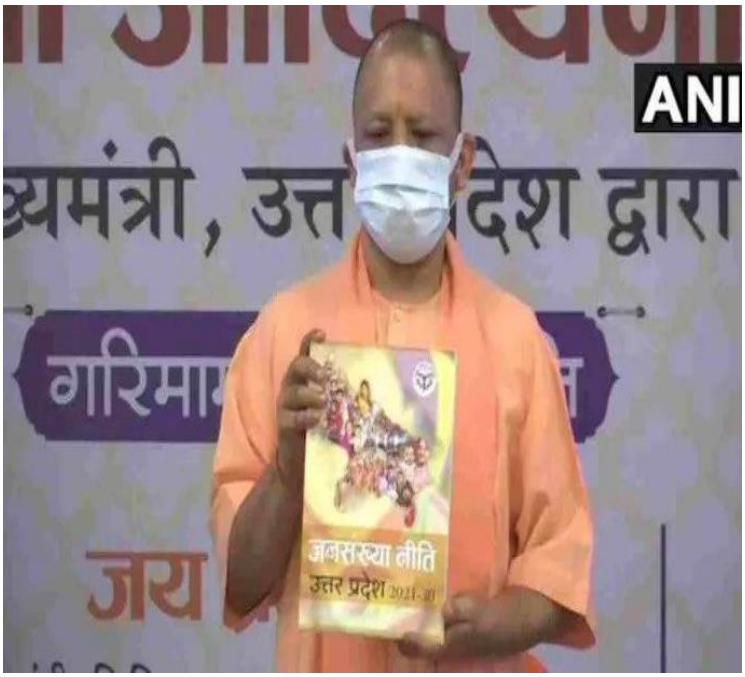

इसलिए हमें जन्म दर को कम करने की जरूरत है और इस संबंध में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं वहां इसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य 2026 तक जनसंख्या वृद्धि के दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1.90 करने का लक्ष्य है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण समय की मांग है और उत्तर प्रदेश सरकार इस संदर्भ में जो प्रयास कर रही है वह स्वागत योग्य है। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि कांग्रेस ने अपनी पुरानी नीति पर यूटर्न लिया है और अब उसने जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया है।

दैनिक इंकलाब (14 जुलाई) ने उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति का विरोध करते हुए एक संपादकीय लिखा है जिसका शीर्षक है "भाजपा संजय गांधी की राह पर।" संपादकीय में कहा गया है कि 1975 में आपातकाल लागू होने के साथ ही संजय गांधी ने परिवार नियोजन का जबरन अभियान चलाया था। लोगों का मानना है कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार का मुख्य कारण जबरन नसबंदी थी। मगर इतिहास की घटनाओं से कोई शिक्षा प्राप्त करने की बजाय भाजपा भी इसी रास्ते पर चल पड़ी है, जिस पर चलकर संजय गांधी फिसल गए थे। हैरानी की बात यह है कि भाजपा सात साल से केन्द्र की सत्ता में है मगर इसे परिवार नियोजन का कभी ध्यान नहीं आया। अचानक उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन की नई नीति घोषित कर दी गई है और संसद में भी भाजपा के एक सदस्य ने इस सिलसिले में एक निजी बिल लाने की घोषणा की है। हालांकि अब विश्व में जनसंख्या के बारे में नीति बदल रही है। यहां तक कि चीन भी इस बात पर मजबूर हो गया है कि वह अपने नागरिकों को दो की बजाय तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति दे। हमारे देश में भी जनसंख्या बढ़ने से नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ है।

रोजनामा सहारा (14 जुलाई) के अनुसार बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्ताव के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें गंभीरता कम और राजनीतिक हित ज्यादा नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि राज्य विधान सभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं इसलिए यह नया शोशा छोड़ा गया है।

शबनम को फांसी के फंदे से बचाने का प्रयास

इंकलाब (24 जुलाई) के अनुसार शबनम नामक देश की पहली महिला अपराधी जिसे फांसी पर लटकाए जाने की प्रतीक्षा थी उसे अब आशा की नई किरण दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक इस मामले के पहुंचने पर उन्होंने हस्तक्षेप करके यह मामला जेल विभाग के प्रमुख सचिव के हवाले कर दिया है। राज्यपाल ने यह कदम एक महिला अधिवक्ता सहर नकवी की विशेष अपील पर उठाया है। शबनम को अमरोहा की सत्र न्यायालय ने 2010 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मगर अपराध की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद शबनम सर्वोच्च न्यायालय भी गई थी। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिका को रद्द कर दिया था। जब शबनम ने अपने सभी परिवारजनों की हत्या की थी तो वह गर्भवती थी। आज उसका 13 वर्ष का बच्चा जेल से बाहर रहकर एक व्यक्ति के पास पढ़ रहा है। शबनम की रहम की अपील भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही रद्द कर चुके हैं। अब शबनम के बेटे मोहम्मद ताज ने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से रहम की याचिका दायर की है। अभी तक कुछ तकनीकी कारणों से उसे फांसी पर नहीं लटकाया गया है। अब आनंदीबेन पटेल से आखिरी उम्मीद है कि वे इसके मृत्युदंड को उम्रकैद में बदल दें। इस संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वकील सहर नकवी ने राज्यपाल से अपील की है कि वे शबनम को एक महिला होने के नाते विशेष रियायत दें। क्योंकि अभी तक भारत में किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं हुई है। राज्यपाल के निर्देश पर उनके विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने जेल के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस केस की कानूनी पहलुओं पर विचार करके उन्हें सूचित करें।

शबनम जिला अमरोहा के बावनखेड़ी नामक गांव के एक समृद्ध परिवार से संबंध रखती है उसने अंग्रेजी और भूगोल में एम.ए. कर रखा है। वह एक अनपढ़ बढ़ई के प्यार में पागल हो गई थी। जबकि परिवार वाले उसकी बढ़ई से शादी के खिलाफ थे। इससे गुस्से में आकर उसने 2008 में अपने परिवार के सात सदस्यों, जिनमें उसके माता–पिता, भाई–भाभी और भतीजे शामिल थे, निर्मम हत्या कर दी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने यह दावा किया था कि उसकी परिवार की हत्या डकैतों ने की है। मगर पुलिस की जांच से सारा राज खुल गया। उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा हो चुकी है। वह भी अपने फांसी पर लटकने की प्रतीक्षा कर रहा है। विश्व भर में इस मुकदमे की काफी चर्चा हुई थी और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में उसकी दास्तान खूब प्रकाशित हुई थीं।

विश्व

अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा 100 नागरिकों की हत्या

इंकलाब (25 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान ज्यादा–से–ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में 100 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इन हत्याओं के लिए तालिबान को दोषी ठहराया है। इससे पूर्व ऐसा समाचार आया था जिसमें बताया गया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 90 प्रतिशत सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान सरकार ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के कहने पर तालिबान ने यह नरसंहार किया है। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने तालिबान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। स्पिन बोल्डक पाकिस्तानी सीमा पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण नगर है। पूरे शहर में चारों तरफ मासूम लोगों के शव ही दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मीरवाइज स्टानिकजई ने कहा है कि ये नरसंहार पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है। यह वही नगर है जहां भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की हत्या की गई थी। इस नगर पर गत सप्ताह तालिबान ने कब्जा कर लिया था। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को एडवायजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में स्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए नागरिक अपने घरों से सोच समझकर बाहर निकलें और सड़कों पर चलने वाले फौजी काफिलों, सरकारी कार्यालयों से दूर रहें और भीड़भाड़ वाले इलाकों, शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें।

इत्तेमाद (26 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अफगानिस्तान में वहां की सेना का मूल कर्तव्य यह है कि वे तालिबान के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करें और इसके बाद उन इलाकों को मुक्त करवाएं जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने संवाददाताओं

से बात करते हुए कहा है कि अफगानिस्तानी सेना देश के महत्त्वपूर्ण और अधिक आबादी वाले क्षत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक तैनात रहने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के निष्कासन का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्हें विश्वास है कि अफगानिस्तान की सेना तालिबान को बढ़ने से रोक सकती है। उन्होंने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान के आधे क्षेत्रों पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। तालिबान की रफ्तार को रोकने के लिए अफगानिस्तान सरकार ने देश के कुल 34 सूबों में से 31 में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जिन तीन सूबों में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है उनमें काबुल, पंजशीर और नंगरहार शामिल हैं।

सियासत (21 जुलाई) के अनुसार ईद के अवसर पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के पास उस समय रॉकेटों से हमले किए गए जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अन्य उच्चाधिकारी ईद की नमाज अदा कर रहे थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इस हमले की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है।

अवधनामा (25 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालिबान के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि अमेरिका अफगान सरकार को हर तरह का सहयोग देगा।

सियासत (20 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान की सरकारी सेना के हमले में 967 तालिबान मारे गए हैं और 500 से अधिक घायल हुए हैं। देश के 20 सूबों और नौ नगरों में तालिबान के खिलाफ युद्ध जारी है। अफगान सेना के प्रवक्ता जनरल अजमल उमर शिनवारी ने कहा है कि हम तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं।

इत्तेमाद (20 जुलाई) के अनुसार अमेरिका सहित 16 देशों ने तालिबान से कहा है कि वे अफगानिस्तान में युद्ध बंद कर दें क्योंकि उन्होंने दोहा में युद्ध विराम के बारे में जो आश्वासन दिया था उसका यह खुला उल्लंघन है। इन देशों ने कहा है कि अफगानिस्तान के जिन क्षेत्रों में तालिबान का नियंत्रण है वहां पर लोगों की हत्या की जा रही है और लूटपाट जारी है। इसके साथ ही वहां पर मूलभूत नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और मीडिया संस्थानों को बंद किया जा रहा है ताकि नागरिक विरोधी हरकतों को छिपाया जा सके।

इत्तेमाद (20 जुलाई) के अनुसार तालिबान के नेता हिबतुल्लाह अखुदज़ादा ने अफगानिस्तान के संकट के राजनीतिक समाधान पर जोर दिया है और इसके साथ यह भी आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान सरकार इसमें रूकावट डाल रही है। उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामिक हुकूमत कायम हो और दुनिया भर के देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध बने। हम अपने पड़ोसी देशों को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अपनी भूमि का इस्तेमाल दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करने देंगे। मगर अन्य देशों को भी यह समझ लेना चाहिए कि वे अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें।

अवधनामा (31 जुलाई) के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान से अपील की है कि वह तालिबान पर अपना प्रभाव का इस्तेमाल करे। क्योंकि दुनिया भर से अफगानिस्तान में नरसंहार की खबरें आ रही है। अलजजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिका के विदेश सचिव ने आरोप लगाया है कि तालिबान सभी समझौतों का उल्लंघन करते हुए पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका इस संबंध

में कुवैत और अन्य देशों से भी बातचीत कर रहा है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके।

इत्तेमाद (29 जुलाई) के अनुसार तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुल्ला बरादर के नेतृत्व में चीन का दौरा किया। चीन को यह भय है कि विदेशी सेना के अफगानिस्तान से निष्कासन के बाद अफगानिस्तान को चीन के शिंजियांग में उइगर पृथकतावादियों के आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने कहा कि चीन की आशंकाएं निराधार हैं। चीन ने यह साफ किया कि वह अफगानिस्तान के मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन ने तालिबान से यह आश्वासन मांगा है कि है कि वे अफगानिस्तान की भूमि से तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी को काम करने की अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि यह पार्टी चीन के पृथकतावादी मुस्लिम आंदोलनकारियों का न सिर्फ समर्थन करती है बल्कि उनको प्रोत्साहन भी देती है। इसके जवाब में तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान की भूमि को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति किसी भी संगठन को नहीं देंगे। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने यह स्वीकार किया कि चीन से बातचीत के लिए एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में चीन गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी।

सियासत (19 जुलाई) के अनुसार अफगान तालिबान के प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने एक बयान में कहा है कि वे अफगानिस्तान के विवाद के राजनीतिक समाधान के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश यही है कि विदेशियों पर निर्भर रहने की बजाय हम स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करें और देश को वर्तमान संकट से निकालें। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि वे अमेरिका सहित विश्व के सभी देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में स्थित सभी विदेशी मिशनों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम उनके लिए किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। गत कई महीने से अफगानिस्तान के तालिबान और वहां की सरकार के बीच वार्ता का सिलसिला जारी है। हालांकि इसमें कई बार बाधा भी आई है। अफगान मामलों के विशेषज्ञ ताहिर खान का कहना है कि तालिबान हालांकि कई तरह के दावे कर रहे हैं मगर कतर में जो बातचीत हुई थी उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अफगानिस्तान सरकार ने यह आरोप लगाया है कि तालिबान विवाद को सुलझाने की बजाय जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं।

अवधनामा (30 जुलाई) के अनुसार रूस ने कहा है कि वह ताजिकिस्तान में अपने सैनिक अड्डों में सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहा है और स्थानीय सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है। रूस ने पहली बार इस बात की चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस मौजूद है

और उसकी गतिविधियों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। रूस को इस बात के संकेत मिले हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निष्कासन के कारण दिन–प्रतिदिन स्थिति बिगड़ रही है इसलिए उसे मुस्लिम बहुल एशियाई देशों में भारी सुरक्षा चुनौती का सामना करने का खतरा है। रूस ने यह दावा किया है कि आईएसआईएस के लड़ाकू सीरिया, लीबिया और अन्य इस्लामिक देशों से अफगानिस्तान जा रहे हैं। इससे वहां पर स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि रूस हाल ही में ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों के नजदीक संयुक्त सैनिक अभ्यास शुरू कर रहा है ताकि वहां की सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

इत्तेमाद (23 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के निष्कासन के बाद वहां पर स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगड़ रही है। इस कारण ताजिकिस्तान सरकार ने यह संभाावना व्यक्त की है कि अफगानिस्तान से एक लाख से अधिक शरणार्थी भागकर ताजिकिस्तान में शरण ले सकते हैं। ताजिकिस्तान ने कहा है कि वह उनके स्वागत के लिए कदम उठा रही है। ताजिकिस्तान की आपात समिति के उप प्रमुख इमाम अली इब्राहिमज़ादा ने कहा है कि हम सीमा पर दो केन्द्र स्थापित कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान से भागकर आने वाले शरणार्थियों को रखा जा सके। ये केन्द्र खतलोन और गोरनो–बदख्शन में स्थापित किए गए हैं। 'डॉन' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों को देखते हुए ताजिकिस्तान सरकार ने अपनी सेनाओं को सतर्क किया है और देश के इतिहास में पहली बार सबसे बड़े सैनिक अभ्यास किए हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान के निर्देश पर ताजिकिस्तान के दो लाख से अधिक सैनिकों को 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया है। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा के समीप 20 हजार सैनिकों को भेजा है। 30 वर्ष के बाद यह पहला अवसर है जब ताजिकिस्तान सरकार ने तीनों सेनाओं को न सिर्फ सतर्क किया है बल्कि उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने अस्त्र–शस्त्रों की टेस्टिंग का काम पूरा कर लें ताकि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं उसके कारण हमारी सीमा पर खतरा बहुत बढ़ गया है और दिन–प्रतिदिन हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति जो 1994 से सत्ता में हैं उन्होंने तालिबान के बढ़ते हुए खतरे के बारे में रूस के राष्ट्रपति से लम्बी बातचीत की है। मास्को के एक समाचार के अनुसार तालिबान ने ताजिकिस्तान के सीमावर्ती नगर शेर खान बंदर पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने रूसी संवाद समिति को बताया है कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से सटे हुए 90 प्रतिशत अफगान क्षेत्र पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है।

सियासत (24 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सोशल मीडिया पर बहस में बहुत तेजी आई है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरूल्लाह सालेह ने एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें राष्ट्रपति निवास पर रॉकेटों के हमले का उल्लेख करते हुए उसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है और इसके साथ ही ढाका में पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्लाह खान नियाजी की ओर से भारत के सामने सरेंडर के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का चित्र भी पोस्ट किया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे इतिहास में कोई ऐसी तस्वीर न है और न ही होगी। इस ट्विट के जवाब में पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा

कि अफगानिस्तान आप (अमरूल्लाह सालेह) जैसे दगाबाजों का नहीं बल्कि अफगान बहादुरों का है। आप जैसे बुजदिलों को अफगानिस्तान और उस क्षेत्र में शांति में कोई रुचि नहीं। समय आने पर आप सबसे पहले अपने देश से भागेंगे।

कौमी तंजीम (24 जुलाई) के अनुसार तालिबान ने यह आरोप लगाया है कि जब तक अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता में हैं अफगानिस्तान में स्थिति नहीं सुधर सकती। अफगानिस्तान में शांति समझौते के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने पद से त्यागपत्र दें ताकि नई सरकार का गठन किया जा सके।

इंकलाब (29 जुलाई) के अनुसार अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के लिए अमेरिका और भारत दोनों सहमत हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हम अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहते हैं जिसे वहां की सरकार ने निर्वाचित किया हो। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि भारत और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वहां अमेरिका अपनी सेना को हटा भी लेता है तो भी हमारा ध्यान वहां से नहीं हटेगा। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर हिंदुस्तान और अमेरिका की राय लगभग एक जैसी है क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। इसलिए हम वहां पर शांति चाहते हैं।

पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव का नाटक

अवधनामा (27 जुलाई) के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) ने विधान सभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लिया है और उसने सरकार बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। मगर विपक्षी दलों मुस्लिम लीग और पीपुल्स पार्टी ने इमरान सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने चुनाव जीतने के लिए धांधलियां की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की नेता मरयम नवाज ने कहा है कि वह इन चुनावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि पीपुल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया है और इस पार्टी के 12 उम्मीदवार सफल हुए हैं। जबकि पाक अधिकृत कश्मीर के कठपुतली प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर चुनाव हार गए हैं। खास बात यह है कि इन चुनावों में इवीएम की बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया है। कई स्थानों पर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़पें हुईं जिनमे दो लोग मारे गए। मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता अताउल्लाह तरार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

समाचारपत्रों के अनुसार इमरान की तहरीक–ए–इंसाफ पार्टी ने 26 सीटों पर विजय प्राप्त की है जबकि पीपुल्स पार्टी को 11 सीटों पर कामयाबी मिली है। मुस्लिम लीग (नवाज) ने 6 सीटों पर विजय प्राप्त की है। जीतने वालों में इमरान की पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी शामिल हैं जो मीरपुर से चुनाव जीते हैं। सुल्तान महमूद ने अपनी पार्टी की विजय पर प्रधानमंत्री इमरान खान को बधाई दी है और कहा है कि इसकी जीत का मुख्य कारण मुस्लिम लीग (नवाज) का भ्रष्टाचार है। मुजफ्फराबाद जिले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लतीफ अकबर ने विजय प्राप्त की है। जबकि मुजफ्फराबाद नगर में मुस्लिम लीग (नवाज) के उम्मीदवार के मुकाबले में तहरीक–ए–इंसाफ पार्टी

के ख्वाजा फारूक चुनाव जीत गए हैं। झेलम घाटी के दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले राजा फारूक हैदर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दीवान अली चुगताई से चुनाव हार गए हैं। चौधरी तारिक फारूक भिंबेर नगर से पीटीआई के चौधरी अनवर हक से हार गए हैं। पीटीआई के सरदार तनवीर इल्यिास खान और पीटीआई के ही मलिक जफर इकबाल भी चुनाव जीत गए हैं। जफर इकबाल ने मुस्लिम लीग के मजबूत उम्मीदवार मलिक नवाज को हराया है जो 1985 के बाद कभी भी कोई आम चुनाव नहीं हारे थे। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व राष्ट्रपति सरदार याकूब खान रावला कोट से जीत गए हैं। इसी जिले में शाहिद जहीर और पीटीआई के अब्दुल कयूम नियाजी ने भी कामयाबी प्राप्त की है। पीटीआई के ही फहीम रहमानी और सरदार मोहम्मद हुसैन खान भी जीते हैं। जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के राजा फैजल राठौड़, डॉ. जावेद अयूब, सैयद बादल नकवी और मियां अब्दुल वाहिद ने भी जीत प्राप्त की है।

कौमी तंजीम (24 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम लीग (नवाज) ने इन चुनावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने कहा है कि मैंने 2018 के चुनावों को भी मान्यता नहीं दी थी। न ही मैं इस फ्रॉड सरकार को ही मानती हूं। जबकि पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने तहरीक–ए–इंसाफ पार्टी की सफलता का श्रेय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दिया है। मुस्लिम लीग (नवाज) की प्रवक्ता मरयम औरंगजेब ने कहा है कि यह चुनाव फ्रॉड है और इसमें धांधली हुई है। आम लोगों ने कश्मीर को बेचने वालों को वोट नहीं दिए हैं। यह चुनाव सत्तारूढ़ दल ने हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करके जीता है। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ जरदारी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि वैकल्पिक नेतृत्व का विकास किया जाए।

इंकलाब (25 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है कि उनकी सरकार की योजना पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा

बनाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कश्मीर की जनता को तय करना है कि वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर आजाद रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह मालूम नहीं कि ये बातें कहां से उड़ाई जा रही हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कश्मीरियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय करने का अधिकार प्राप्त होगा।

चीन द्वारा अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 जुलाई) के अनुसार चीन की ओर से मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी का अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओहायो में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि उनकी सरकार इस तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके लिए सीमा पर विशेष स्टाफ नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फेंटेनाइल नामक मादक गोली हिरोइन की तुलना में 50 से 60 गुना ज्यादा खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सत्ताकाल में यह आरोप लगाया था कि चीन की ओर से एक अभियान के तहत मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी के अभियान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि फेंटेनाइल नामक नशे की गोलियां बनाने के लिए आवश्यक सामग्री चीन द्वारा जानबूझकर मैकिस्को पहुंचाई जाती है। वहां से इसे अमेरिका भेजा जाता है और इन खतरनाक औषधियों का मकड़जाल अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि मैक्सिको मादक औषधियों के तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। बाइडेन ने भी सत्ता में आने के बाद इस समस्या पर ध्यान देना शुरू किया है। वे तीन बार मैक्सिको के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इन औषधिय ों के कारण अमेरिका के अनेक राज्यों में मृत्यु दर में अचानक भारी वृद्धि हुई है। हाल ही में वॉयस ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि के जवाब में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने यह स्वीकार किया था कि चीन द्वारा निर्मित मादक औषधियां अमेरिका के कुछ राज्यों में सिरदर्द बनी हुई हैं। इसलिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।

अमेरिकी सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि चीनी मूल के लोग मैक्सिको सीमा से मादक पदार्थों के साथ अमेरिका में घुसपैठ करते हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनमें से अनेक बाद में जमानत लेकर लापता हो जाते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर ड्रग्स कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अमेरिका के अनेक राज्यों में बढ़ते हुए मादक पदार्थों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता प्रकट की गई है। ओहायो में प्रति दिन 5215 व्यक्ति इन चीनी मादक गोलियों का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। यह संख्या 2017 की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी मादक पदार्थों की गोलियों के कारण अमेरिका में होने वाली मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। गत वर्ष की पहली छमाही में इनके इस्तेमाल में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। व्हाइट हाउस के अंतर्गत नेशनल ड्रग्स कंट्रोल पॉलिसी के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक इन चीनी गोलियों के कारण मोटे तौर पर 48000 लोग मरे हैं। इनकी मौत का कारण फेंटेनाइल और ओपिओइड नामक गोलियां हैं जो कि चीनी मादक पदार्थों से तैयार की जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन द्वारा जानबूझकर अमेरिका की भावी पीढ़ी को तबाह करने के लिए इन नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इसलिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति के एजेंडे में इस पर काबू पाना सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। ■

पाकिस्तान में रसूल की अवमानना करने पर उम्रकैद

इंकलाब (18 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विशेष अदालत ने इस्लाम और उसके प्रवर्तक की तौहीन के एक केस का निर्णय सुनाते हुए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा दी है। 'डॉन' समाचारपत्र के अनुसार हजरत मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में इब्तिसाम मुस्तफा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त उसे ईसाईयों के धर्म और उनकी आस्थां पर चोट करने के दो अन्य आरोपों में दस–दस वर्ष की सजा भी सुनाई गई है। आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश शौकत कमाल डार ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी ने जानबूझकर ईशा की तौहीन की है, जिससे ईसाई सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 के तहत उसे बीस वर्ष की सजा और धारा 295सी के तहत हजरत मोहम्मद का अपमान करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा दी है। 1997 के आतंकवाद निरोधी कानून और इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम 2016 के तहत जिला चकवाल के रहने वाले इस व्यक्ति को अदालत ने मुजरिम करार देते हुए उस पर 20 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने उसे 80सी पीपीसी की धारा 295सी के तहत 2019 में पैगम्बर इस्लाम की तौहीन के आरोप में उम्रकैद की सजा दी थी। परंतु लाहौर उच्च न्यायालय ने आरोपी की अपील सुनने के बाद उसके मुकदमों की पुनः सुनवाई करने के लिए यह मुकदमा अदालत में वापस भेज दिया था। अब अदालत ने इस मामले पर पुनर्विचार करके यह फैसला सुनाया है।

सरकारी वकील ताहिर काजिम ने समाचारपत्र को बताया कि 80सी के सामने जांच एजेंसियों ने सबूत पेश किए थे। इन पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने हजरत ईशा की तौहीन करने का दोषी करार दिया है। इसी अदालत ने जिला अटक के 12 अन्य आरोपियों को सरकारी विभाग और पुलिस पर हमला करने के आरोप में भी 10–10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि जब सरकारी अधिकारी एक फरार आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। ■

अफ्रीका आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा

इंकलाब (25 जुलाई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हाल ही में एक रिपोर्ट सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को साझा की है, जिसमें कहा गया है कि 2021 की पहली छमाही में अफ्रीका में इस्लामिक आतंकवाद की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। अफ्रीका के मध्य–पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कोरोना महामारी की प्रतिबंधों के बावजूद इस्लामिक आतंकवादियों की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में सक्रिय कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने अपने अड्डे अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कर लिए हैं। इसके कारण वहां पर इस्लामिक आतंकवाद की विस्फोटक स्थिति होने का खतरा पैदा हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से संबंधित विभिन्न इस्लामिक गुट अफ्रीका के अनेक देशों में अपने अड्डे स्थापित करके वहां की जनता में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो कोई उनका विरोध करने की हिम्मत करता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही कारण है कि अफ्रीकी देशों में इस्लामिक आतंकवाद का शिकार होने वालों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। ये दोनों आतंकवादी इस्लामिक संगठन विदेशी स्रोतों से हथियार प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें भारी मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो रही है, जिसका इस्तेमाल वे अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका के देशों में इराक और सीरिया में कहर ढाने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सशस्त्र आतंकवादी काफी संख्या में इराक और सीरिया से वहां पहुंचे हैं। जबकि अलकायदा सोमालिया और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय है। इन दोनों इस्लामिक संगठनों के बीच वर्चस्व के लिए दिन–प्रतिदिन सशस्त्र संघर्ष गंभीर रूप ले रहा है।

अलकायदा ने माली, बुर्किना फासो, आईवरी कोस्ट सेनेगल और नाइजर में अपनी आतंकी गतिविधियों का जाल फैला दिया है। वे अपनी गतिविधियों का जाल नाइजीरिया, कैमरून और चाड में भी फैला चुके हैं। नाइजीरिया में जिहादी संगठन बोको हरम दिन–प्रतिदिन कहर ढा रही है। जबकि सोमालिया में अल शबाब सार्वजनिक रूप से लोगों का अपहरण और उनका नरसंहार कर रही है। पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया में सक्रिय अल शबाब के जिहादी कीनिया, मोजाम्बिक और तंजानिया तक पहुंच चुके हैं। 2021 में इस्लामिक स्टेट ने वहां के स्थानीय जिहादी संगठनों के साथ संपर्क जोड़ा है और उन्होंने अफ्रीका के महत्त्वपूर्ण तटीय शहर मोकिमबोआ दा परैया पर कब्जा कर लिया है। यह बंदरगाह तंजानिया की सीमा के समीप स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों की गतिविधियों में अचानक तेजी आई है।

ट्यूनीशिया में तानाशाही

अफ्रीका के सबसे बड़े इस्लामिक देश ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के बीच गत काफी समय से जो संघर्ष चल रहा था उसने अब नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रपति कैस सईद ने प्रधानमंत्री हिचम मेकिची और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके संसद को भंग कर दिया है और सेना की सहायता से सत्ता स्वयं संभाल ली है।

इंकलाब (1 अगस्त) ने एक संपादकीय प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है "ट्यूनीशिया तानाशाही की ओर।" संपादकीय में कहा गया है कि अरब देशों में केवल ट्यूनीशिया ही एक मात्र ऐसा देश है जिसे पूरी तरह से लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। यहीं से 2011 में 'अरब वसंत' की शुरुआत हुई जब वहां पर जनता ने 24 वर्ष से सत्तारूढ़ जिन अल अबिदिन बेन अली को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद अरब वसंत ने कुछ गिने–चुने अरब देशों में कदम जमाने शुरू कर दिए और लोकतंत्र के समर्थक लोग इस बात पर खुश होने लगे कि अब अरब देश तानाशाही से निकलकर लोकतंत्र के साए में शरण लेने वाले हैं। जब मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के नेतृत्व में लोकतंत्र स्थापित हो गया तो लोकतांत्रिक लोगों की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। मगर इसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं। विदेशी सहायता से सेना ने फिर से सत्ता पर कब्जा जमा लिया। इख्वानुल मुस्लिमीन को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके हजारों कार्यकर्ता जेलों में सड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और मुर्सी की कैद में रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। यही कहानी लीबिया में दोहराई गई और मुअम्मर अल–गद्दाफी की हत्या कर दी गई। सीरिया में जो कुछ हुआ वह भी दुनिया देख रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि लीबिया और मिस्र ने जो खेल अरब वसंत की आड़ में खेला था उस पर कोई लेबल नहीं लगाया जा सका। मगर सीरिया को गृहयुद्ध में झोंकने वाली

सीआईए ने बड़ी होशियारी से इसे शिया सुन्नी संघर्ष की संज्ञा दे दी।

जहां तक ट्यूनीशिया का संबंध है वहां की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है जिनमें 98 प्रतिशत मुसलमान हैं। इस देश में मुसलमान तुलनात्मक दृष्टि से काफी शांति से रह रहे हैं। यह देश 1575 में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। मगर 1881 में इस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और 1956 तक यह उसी के अधिकार में रहा। 20 मार्च 1956 को ट्यूनीशिया फ्रांस की गुलामी से आजाद हुआ और उसे एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया और हबीब बौर्गुइबा पहले राष्ट्रपति बने मगर 1987 में उन्ही के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री जिन अल अबिदिन बेन अली ने विद्रोह करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और वहां पर एक तानाशाह के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। उनकी तानाशाही का खात्मा 2011 में जनांदोलन द्वारा हुआ। अब वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके संसद को भंग कर दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। राष्ट्रपति कैस सईद ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश दिवालिया हो गया था। इसलिए उन्हें विवश होकर सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री ओर उनके 460 समर्थकों ने देश के खजाने से 4 अरब 80 करोड़ डॉलर चुराए हैं। मगर खास बात यह है कि जब उन्होंने भ्रष्टाचार से तंग आकर देश की सत्ता पर कब्जा किया है तो फिर अखबारों और संवाद समितियों की जुबान पर क्यों ताले लगाए जा रहे हैं? राष्ट्रपति दुनिया से क्या छिपाना चाहते हैं? अरब चैनल अल जजीरा के दफ्तर पर क्यों छापा मारा गया? और वहां पर काम करने वाले लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? देश भर में पत्रकारों को क्यों पकड़ा जा रहा है? अगर सरकार भ्रष्टाचारी थी तो विपक्ष से संबंधित सांसदों को क्यों गिरफ्तार किया गया? सच्चाई यह है कि कैस सईद देश के तानाशाह बनना चाहते थे। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को बहाना बनाया। अगर हिचम मेकिची की सरकार भ्रष्टाचारी थी तो उनके समर्थन में वहां की जनता प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्यों ट्यूनीशिया की पुलिस राष्ट्रपति के खिलाफ जुबान खोलने वाले हर व्यक्ति को ढूंढ–ढूंढ कर पकड़ रही है? सच्चाई तो यह है कि अरब देशों में तानाशाह बनने का रूझान है। जिसको ताकत मिलती है वही लोकतंत्र की जड़ें खोदने में लग जाता है। हमें आशा है कि ट्यूनीशिया की क्रांतिकारी जनता इस तानाशाह के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी और लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयास करेगी।

पटना से प्रकाशित **कौमी तंजीम** (31 जुलाई) के अनुसार अन्य पश्चिमी देशों के साथ फ्रांस ने भी इस मांग को दोहराया है कि ट्यूनीशिया में राजनीतिक संकट के जल्द समाधान की जरूरत है। फ्रांस ने ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद से तुरंत एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने की मांग की है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पहले ही कैस सईद से देश में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र की बहाली की मांग कर चुके हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति सईद ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री और संसद दोनों को बर्खाश्त कर दिया था। विपक्षी दलों ने जब इसका विरोध किया तो राष्ट्रपति ने विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके साथ ही नए राष्ट्रपति ने दर्जनों उच्चाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। जिनमें सरकारी टीवी चैनल का प्रमुख भी शामिल है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने यह मांग की है कि देश में कानून का शासन स्थापित किया जाए और लोकतंत्र को बहाल करके नया प्रधानमंत्री बनाया जाए। हैरानी की बात यह है कि अधिकांश अरब

देशों ने राष्ट्रपति कैस सईद की आलोचना किए बिना यह दावा किया है कि वे ट्यूनीशिया की जनता के साथ हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सऊदी सरकार हर उस चीज के साथ है जिससे ट्यूनीशिया के भाईयों और बहनों की सलामती और स्थिरता में वृद्धि हो। कतर की सरकार ने सभी पक्षों से वार्ता शुरू करने पर जोर दिया है। जबकि मिस्र ने ट्यूनीशिया की घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की। मगर वहां की सरकारी मीडिया ने कैस सईद द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया को इस्लामिक आतंकी तत्वों से बचाने के लिए यह कदम उठाया है।

इंकलाब (29 जुलाई) के अनुसार ईरान और सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि वे इस संकट की घड़ी में ट्यूनीशिया के साथ खड़े हैं। और आशा है कि इस संकट पर वहां के लोग काबू पा लेंगे। सऊदी अरब ने भी राष्ट्रपति कैस सईद की आलोचना किए बिना यह आशा व्यक्त की है कि वे स्थिति को सफलतापूर्वक संभाल लेंगे।

इंकलाब (27 जुलाई) के अनुसार देश भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बर्खास्तगी के बाद जनता ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने यह दावा किया है कि पुरानी सरकार कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई को रोकने में विफल रही थी इसलिए जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जबकि मीडिया का कहना यह है कि यह प्रदर्शन वहां की जनता लोकतंत्र बहाली के लिए कर रही है। सेना ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे अशांति न फैलाएं वरना उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा।

अमेरिका का इराक में जंगी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान

इंकलाब (28 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा की है कि अमेरिका इस वर्ष के अंत तक इराक से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। इराक में गत 18 वर्षों से अमेरिकी सेना डेरा डाले हुए है। किंतु कुछ मुट्ठी भर प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी फिलहाल इराक में ही बने रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह फैसला इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल–कदीमी से मुलाकात करने के बाद किया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इसके बाद अमेरिकी सेना की भूमिका सिर्फ इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए इराकी सेना को प्रशिक्षण देने और उसकी सहायता करने तक ही सीमित रह जाएगी। मगर अमेरिका और इराक के बीच सुरक्षा सहयोग जारी रहेगा। हम मिलकर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे और इसे हराएंगे।इराक के प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार का अमेरिका के साथ संबंध पहले से भी ज्यादा सुदृढ़ है।

इराक में इस समय ढ़ाई हजार अमेरिकी फौजी मौजूद हैं और उनकी भूमिका इराकी सेना

को सहायता और सहयोग देने की ही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी सैनिकों में से कितने सैनिक वापस स्वदेश लौटेंगे। मीडिया के अनुसार इराक में ईरान के समर्थकों का वहां के प्रधानमंत्री पर इस बात के लिए जबर्दस्त दबाव है कि इराक से अमेरिकी सेना की वापसी शीघ्र–अतिशीघ्र होनी चाहिए। तीन महीने बाद इराक में चुनाव होने वाले हैं। इससे पूर्व यह महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई है। इराक में कई वर्ष के युद्ध व अशांति ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। बिजली का उत्पादन ठप होने के कारण सबसे गर्म इस देश में जनता की परेशानियों में भारी वृद्धि हुई है। बताया जाता है कि राष्ट्रपति अल–कदीमी ने ईरान का समर्थन प्राप्त करने के लिए अमेरिका पर इस बात का दबाव डाला था कि वह अपनी सेना को वापस बुला ले। इस्लामिक स्टेट द्वारा इराक में पैर पसारने के बाद अमेरिका ने 2003 में इराक में हस्तक्षेप शुरू किया था मगर पिछले वर्ष अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस दावे के बाद कि अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट की कमर तोड़ दी है, अपने काफी सैनिक वापस बुला लिए थे। अब अमेरिका ने इराक में अपनी सैनिक गतिविधियों को बंद करने का ऐलान किया है। यह ऐलान उस समय किया गया है जब अफगानिस्तान से 20 वर्ष के बाद अमेरिका ने अपने सभी सैनिक वापस बुला लिए हैं और इसके बाद वहां पर जो रिक्तता पैदा हुई है उसके कारण तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और उनके साथ सरकारी सेना का संघर्ष जारी है।

अजीब बात है कि इराक के प्रधानमंत्री अल–कदीमी भी यह दावा कर रहे हैं कि इराकी सेना स्वयं अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के काबिल है। हालांकि सच्चाई यह है कि इराक के कई भागों में अब भी इस्लामिक स्टेट के सैनिक मौजूद हैं और वे उत्पात मचा रहे हैं। इसी सप्ताह बगदाद में इस्लामिक स्टेट की ओर से ए क बाजार में बम धमाका किया गया था, जिसमें कम–से–कम 35 लोग मारे गए थे।

विश्वविख्यात शिया विद्वान जेल से रिहा

इंकलाब (31 जुलाई) के अनुसार नाइजीरिया की एक अदालत ने विश्वविख्यात शिया विद्वान शेख इब्राहिम ज़कज़ाकी और उनकी पत्नी ज़ीना इब्राहिम को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। ये दोनों 2015 से जेल में बंद थे। नाइजीरिया सरकार ने 2018 में उन पर हत्या में सहयोग करने और शांति भंग करने जैसे आठ आरोप लगाए थे। शेख ज़कज़ाकी के वकील ने कहा कि अदालत ने इन सभी आरोपों को

निराधार पाया है इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। नाइजीरिया में शेख इब्राहिम ज़कज़ाकी गत एक दशक से इस बात का अभियान चला रहे थे कि नाइजीरिया में भी ईरान के मॉडल पर इस्लामिक क्रांति होनी चाहिए। उनकी इस मांग को कुचलने के लिए नाइजीरिया सरकार ने उन्हें और उनकी पत्नी के साथ–साथ उनके संगठन इस्लामिक मुवमेंट इन नाइजीरिया (आईएमएन) के 200 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। एक

वर्ष के बाद एक अदालत ने उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। मगर उनकी रिहाई से पूर्व ही उन पर हत्या आदि आरोप लगा दिए गए ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके।

यह आरोप 2015 में उनके समर्थकों द्वारा चलाए गए आंदोलन के दौरान लगाए गए थे। जिस आंदोलन में सरकारी सैनिकों ने उत्तरी कदुना नामक स्थान पर उनके साढ़े तीन सौ समर्थकों की निमर्म हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि जब उनके समर्थक एक जुलूस में जा रहे थे तो सेना ने उन्हें रोका और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सरकार और सेना ने पहले तो इस घटना से इनकार कर दिया और बाद में कहा कि क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने हमला करके एक सैनिक की हत्या कर दी थी इसलिए सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद इस्लामिक मुवमेंट इन नाइजीरिया पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। इस संगठन से संबंधित कई लोगों को 2019–20 में रिहा कर दिया गया था। मगर शेख और उनकी पत्नी को निरंतर जेल में रखने के कारण नाइजीरिया में अनेक स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोग मारे गए।

बशर अल–असद फिर बने सीरिया के राष्ट्रपति

हमारा समाज (19 जुलाई) के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल–असद ने इस वर्ष मई महीने में होने वाले चुनावों में 95 प्रतिशत वोट प्राप्त करने का दावा किया था। अब उन्होंने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया है। फ्रांसीसी संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार बशर अल–असद ने कुरान और संविधान के नाम पर शपथ ली। इस समारोह में छह सौ से अधिक लोगों ने भाग लिया। अब वे अगले सात वर्ष तक सत्तारूढ़ रहेंगे। उनका परिवार गत साठ वर्षों से सीरिया में सत्तारूढ़ हैं। उनसे पूर्व उनके पिता हाफिज अल–असद 30 वर्षों तकों सीरिया के शासक रहे थे। मई महीने में सीरिया में हुए चुनाव को यूरोप और अमेरिका ने फ्रॉड बताया था और उसे रद्द करने की मांग की थी। जबकि शपथ लेने के बाद अल–असद ने अपने चुनाव को जनता की जीत बताया है। सीरिया के दो तिहाई भाग पर बशर अल–असद की सरकार का कब्जा है। जबकि उत्तर के अनेक क्षेत्रों में विद्रोही सक्रिय हैं। सीरिया में एक दशक से गृहयुद्ध जारी है, जिसमें अब तक पांच लाख लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। देश भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

अवधनामा (30 जुलाई) के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल–असद ने ईरान को अपना सबसे नजदीकी साथी बताया है। इससे पूर्व दमिश्क में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद

बाघेर गालिबाफ ने उनसे मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने पत्रकारों को बताया कि ईरान उनका सबसे महत्त्वपूर्ण सहयोगी है और वे दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ संघर्षशील हैं। ईरान प्रारम्भ से ही सीरिया की जनता के साथ खड़ा है और उसने सभी क्षेत्रों में हमें सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जब तक सीरिया की एक–एक इंच भूमि विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाती हम दोनों का सहयोग जारी रहेगा। सीरिया और ईरान में हाल में हुए चुनावों से यह साफ हो गया है कि जनता हमारे साथ है और इन दोनों देशों की राजनीति को मनमाफिक मोड़ देने के लिए विश्व की विभिन्न शक्तियों ने जो दबाव डाला था वह सफल नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश आर्थिक विकास में एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे।

कोरोना प्रतिबंधों के साथ हज

हमारा समाज (7 जुलाई) के अनुसार कोरोना प्रतिबंधों के साथ हज की शुरुआत हो गई है और सऊदी सरकार ने केवल 60,000 सऊदी हाजियों को ही काबा में दाखिल होने की अनुमति दी है। इन हाजियों को छह–छह हजार के समूहों में मस्जिद–ए–हर्रम में दाखिल होने और उसकी परिक्रमा की अनुमति दी गई है। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार इन हाजियों को महिला कर्मचारियों ने 'आब–ए–ज़मज़म' का तोहफा पेश किया। सरकार ने हज करने के उत्सुक लाखों लोगों में से केवल 60 हजार लोगों का ही चयन किया था। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 30–40 लाख यात्री विश्व भर से हज यात्रा करते हैं और इनसे अरबों डॉलर की आय सऊदी सरकार को होती है। हज का खुतबा शेख अब्दुल्लाह अल मनिया ने विश्व की दस भाषाओं में दिया, जिनमें उर्दू भी शामिल थी। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार हाजियों की सेवा के लिए रोबोट मशीनों का

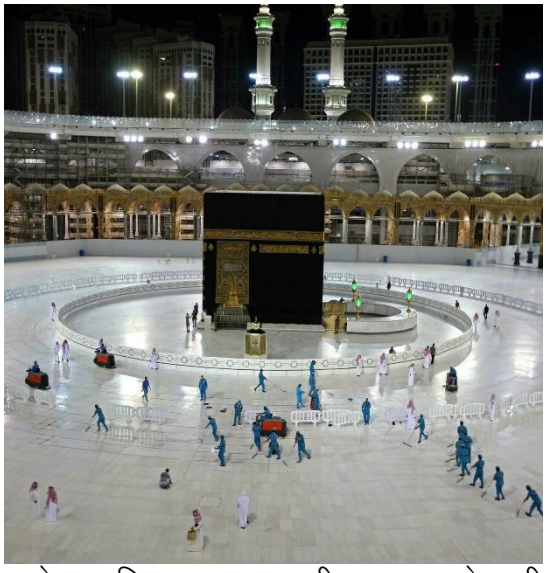

इस्तेमाल किया गया। उनकी सहायता से सभी हाजियों पर स्प्रे किया गया। सऊदी सरकार ने पहली बार आधुनिक कंप्यूटरों का इस्तेमाल खुतबा हज के प्रसारण के लिए किया है। इस खुतबे को विश्व के सभी मुसलमानों ने सुना।

सऊदी अरब में 14000 घुसपैठिए गिरफ्तार

सियासत (26 जुलाई) के अनुसार सऊदी सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने देश के विभिन्न भागों में छापे मारकर देश में अवैध रूप से रहने वाले 14648 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 9000 लोग गैरकानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। पकड़े गए लोगों में 46 प्रतिशत यमनी, 44 प्रतिशत इथियोपियाई और 10 प्रतिशत अन्य देशों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त देश में गैरकानूनी तौर पर रह रहे श्रमिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी संख्या 126 है।

अन्य

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा गोशाला में गोदान

इंकलाब (21 जुलाई) के अनुसार आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से तुर्कमान गेट के समीप स्थित हनुमान वाटिका की गोशाला को गोदान किया और वहां पर दूध पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद साबरीन ने कहा कि इंद्रेश कुमार के आदेश पर हमने एक दूध पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें दिल्ली के विभिन्न गोशालाओं को गायों का दान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध के कई लाभ हैं। इनमें से एक लाभ यह है कि गाय का दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है और हृदय को सुरक्षित करके विभिन्न बिमारियों से रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध में एंटी ऑक्सिडेंट विटामीन ई और जिंक पाया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोरक्षा के लिए देश में जबर्दस्त अभियान छेड़ने की जरूरत है। इस अवसर पर डॉ. इमरान चौधरी, गिरीश जुयाल, मोहम्मद फैज खान, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद शाबिर, शबाना खान आदि मौजूद थे।

विवाद मुस्लिम मुसाफिर खाने का

इंकलाब (21 जुलाई) के अनुसार पुरानी दिल्ली में बल्लीमारान में स्थित पौने दो सौ साल पुराने मुस्लिम मुसाफिर खाने पर बिल्डर माफिया द्वारा कब्जा करके वहां पर एक मार्केट बनाने का जो प्रयास चल रहा था वह इस क्षेत्र की जागरूक जनता और वक्फ बोर्ड के हस्तक्षेप से टल गया है। बताया जाता है कि दिल्ली में यह एकमात्र मुस्लिम मुसाफिर खाना है जिसमें कोई भी मुसलमान निःशुल्क रूप से आकर कुछ दिनों के लिए ठहर सकता है। इसका निर्माण शरीफ खान हकीम के परिवार ने पौने दो सौ वर्ष पूर्व करवाया था। इसमें साठ से अधिक कमरे हैं और यह दो मंजिला इमारत है।

सदियों पुरानी मस्जिद में अज़ान की गूंज

इंकलाब (19 जुलाई) के अनुसार हरियाणा के पानीपत के समीप एक गांव में एक पुरानी मस्जिद को मरम्मत करके गांव वालों की ओर से हरियाणा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। बताया जाता है कि यह मस्जिद लोदी काल की है। देश के विभाजन के समय इस गांव में रहने वाले सभी मुसलमान क्योंकि पाकिस्तान चले गए थे इसलिए यह मस्जिद वीरान पड़ी हुई थी। जामिया दारूल इस्लाम के प्रमुख मौलाना जावेद नदवी ने गांव के गैर मुसलमानों के सहयोग से इस मस्जिद की मरम्मत करवाई और उसे मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। 75 वर्ष बाद पहली बार इस गांव में नमाज अदा की गई। गांव के सरपंच सुरजीत सिंह ने कहा कि यह मस्जिद काफी खस्ताहाल थी। अब गांव के सभी गैर मुसलमानों ने मिलकर इसकी मरम्मत करवाकर इसे आसपास के गांवों में रहने वाले मुसलमानों के हवाले किया है ताकि वे इसमें नमाज अदा कर सकें। इससे पूर्व भी गैर मुसलमान हरियाणा में कम–से–कम 70 मस्जिदें मरम्मत करवाने के बाद मुस्लिम सम्प्रदाय के हवाले कर चुके हैं। अब इन मस्जिदों की देखभाल हरियाणा वक्फ बोर्ड करता है।

डीडी उर्दू से मोहर्रम का विशेष कार्यक्रम

इंकलाब (1 अगस्त) के अनुसार प्रसार भारती के सैटेलाइट चैनल डीडी उर्दू की ओर से मोहर्रम के महीने में दस दिनों तक शहीदाने कर्बला से संबंधित मजलिसों का प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण 'पैगाम–ए–कर्बला' के शीर्षक से होगा और इसमें इस्लाम के प्रमुख विद्वान भाग लेंगे। इसके अलावा विभिन्न मजलिस का आयोजन करने वाले लोगों को भी विशेष रूप से निमंत्रण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी विशेष रुचि ले रहे हैं और उनके प्रयासों से हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, आगरा, कोलकाता, बनारस आदि प्रमुख स्थानों के विद्वान हिस्सा लेंगे। इस बार इन मजलिसों को शिया नेता मौलाना कल्बे जवाद नकवी, फतेहपुरी शाही मस्जिद के इमाम डॉ. मुफ्ती मुकर्रम अहमद, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के उपकुलपति पद्मश्री प्रो. अख्तरूल वासे, अतहर हुसैन दहलवी, विश्व विख्यात वक्ता मौलाना आबिद बिलग्रामी और मौलाना सैयद राजी हैदर भी हिस्सा लेंगे। भारत में मोहर्रम पर विशेष कार्यक्रम डीडी उर्दू के अतिरिक्त हर वर्ष न्यूज 18, जी सलाम, मुंसिफ टीवी और 1 टीवी पर भी प्रसारित की जाती हैं और यह विश्व भर के मुसलमानों में काफी लोकप्रिय हैं।

बगदाद में नमाज़–ए–ज़नाज़ा पर हमला

इंकलाब (1 अगस्त) के अनुसार इराक के सलाहुद्दीन सूबे में एक नमाज़–ए–ज़नाज़ा पर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने हमला किया, जिनसे नमाज़–ए–ज़नाज़ा में भाग लेने वाले 13 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। यह स्थान बगदाद से 80 किलोमीटर दूर है। आतंकियों ने गांव के समीप एक चौकी पर भी हमला किया, जिसमें कम–से–कम तीन पुलिस अधिकारी मारे गए। 45 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

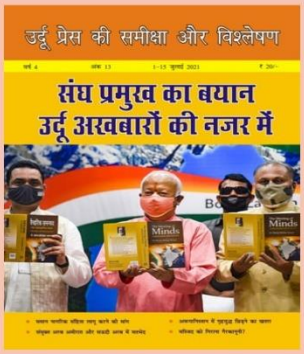

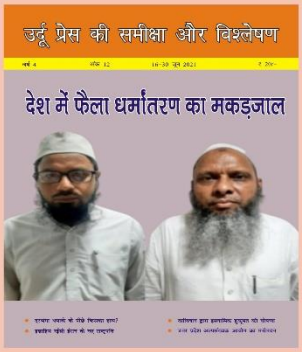

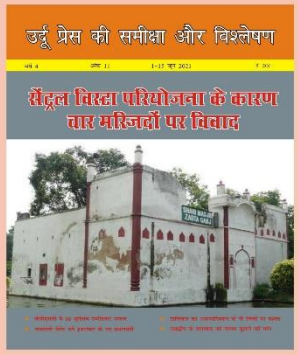

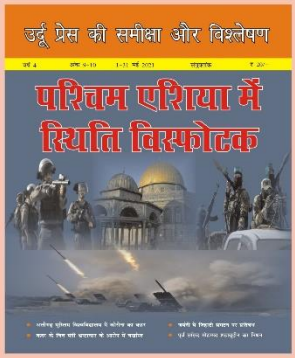

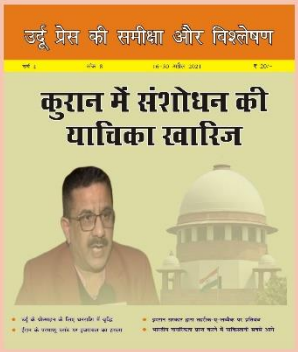

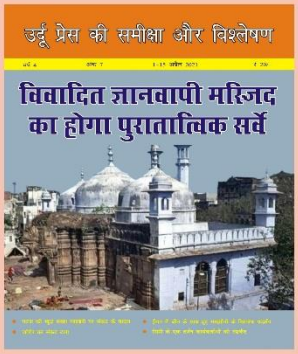

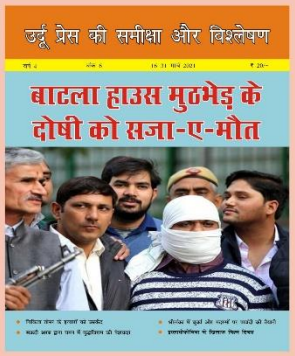

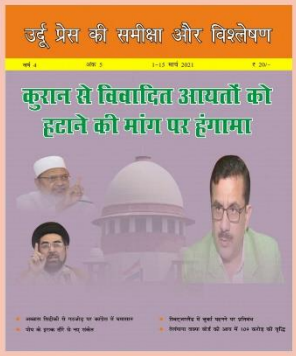

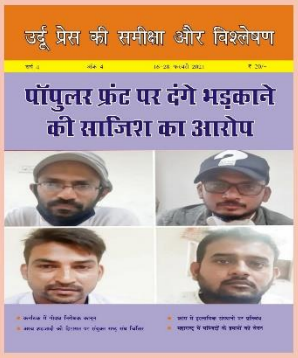

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीप्तवेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in